रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 511] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 1982/कार्तिक 18, 1904
No. 511] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 1982/KARTIKA 18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1982

का०आ० 788(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 520 (अ)/18 कक/आई डी आर ए/74, तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा जो आदेश सं० का० आ० 134(अ) 18कक/आई डी आर ए/79, तारीख 13 मार्च, 1979 द्वारा यथा संशोधित है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, वस्त्र और वस्त्र उद्योग विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार को, जिन्हें अब सचिव, औद्योगिक पुनर्गठन विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को, कहा जाता है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स इंडिया बेल्टिंग एण्ड फाउन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर, पश्चिमी बंगाल (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध 6 सितम्बर, 1974 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था।

और केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर निदेश दिये थे कि उक्त आदेश 5 मार्च, 1983 तक की और उपाधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) आदेश 1951 (1951 का 65) की धारा 18ङ० की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे कि वह उक्त अधिनियम की धारा 18कक के अधीन आदेश जारी किए जाने से पूर्व लागू था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 का उपबन्ध	अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू होंगे।
1	2
धारा 166	इस धारा के उपबन्ध, उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे। किन्तु वह अपनी कानूनी बिक्रणियां और तुलनपत्र तैयार करेगा और नियत अवधि के भीतर कम्पनी - रजिस्ट्रार के पास फाईल करेगा। इस छूट से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 (1) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
धारा 169	इस धारा के उपबन्ध, उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।

1	2
धारा 210(1)	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे। किन्तु वह अपनी कानूनी विवरणियां और तुलनपत्र तैयार करेगा और नियत अवधि के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा। इस छूट से कम्पनी - अधिनियम 1956 की धारा 159 (1) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
धारा 217	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 224	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि जिस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वह कम्पनी है, उसमें केंद्रीय सरकार द्वारा लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाएगा।
धारा 225	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि जिस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वह कम्पनी है, उसमे केंद्रीय सरकार द्वारा लेखा - परीक्षक नियुक्त किया जाएगा।
धारा 293	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि जहां अंशधारकों का अनुमोदन अपेक्षित हो, वहां वह जिस विभाग के अधीन वह कम्पनी है, उसके द्वारा दिया जाएगा।
धारा 294	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि जहां अंशधारकों का अनुमोदन अपेक्षित हो, वहां वह जिस विभाग के अधीन वह कम्पनी है, उसके द्वारा दिया जाएगा।

सभी दशाओं में छूट की अवधि, तब समाप्त हो जाएगी जब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी का प्रबन्ध समाप्त हो जाता है।

[फा० सं० 2 (14)/80 सी० यू. एस]
ए० पी० सरबन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

Department of Industrial Development

ORDER

New Delhi, the 9th November, 1982

S.O. 788(E).— Whereas, by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)/18AA/IDRA/74, dated the 6th September, 1974, as modified by the Order No. S.O. 134(E)/18AA/IDRA/79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of M/s. India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974.

And, whereas, the Central Government had issued directions from time to time for continuance of the said Order for a further period upto and inclusive of the 5th March, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956)shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18AA of the said Act.

SCHEDULE

Provision of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the said industrial undertaking
1	2
Section 166	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall,however, prepare and filed its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies within the stipulated period. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 169	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 210(1)	Provisions of this sub-section shall not apply tothe said industrial undertaking. It shall, however, prepare and file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies within the stipulated period. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 217	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 224	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Govern-

1	2
	ment, in the Department under whose administrative control the company may be.
Section 225	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government, in the Department under whose administrative control the company may be.
Section 293	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking, subject to the condition that where approval of the shareholders is required the same shall be accorded by the Department under whose control the company may be.
Section 294	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that where approval of the shareholders is required the same shall be accorded by the Department, under whose control the company may be.

The period of exemption in all cases will terminate when the Company ceases to be managed by the Central Government under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951)

[File No. 2(14)/80-C US]

A.P SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982